

2025/19

FORM NO III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

समुदेवी वगैर (बनाम) रमेश नजर

किस्म मुकदमा आदेश-9 नियम 4 सीपीसी मु.न. 28 सर् 2025

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/25	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश -9 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अति आवश्यक कार्यवश दिनांक 24/01/2025 को श्रीमान न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से मूल वाद / प्रार्थना पत्र सं. 116/2023 अनवान धारा 53, 88, 188 बनाम रमेश वगैर अन्तर्गत अदम होजरी अदम पैरवी से खारिज हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण पुनः रिस्टोर कर नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत वकूलाध्यक्ष को सूचना गया जिस पर वकील प्रतिवादी / अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वकील प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश -9 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। मूल वाद / प्रार्थना पत्र संख्या 116/2023 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर </p>